पतराम / सरकार

1.2.21 वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल किया गया।। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:– श्री मुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
14	15.10.2020	01.02.2021

उनवान

1. पतराम पुत्र श्री चुन्ना राम जाति चमार निवासी बासडा तन किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमि धारी) पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री दिनेश सैनी एडवोकेट प्रार्थी की और से।
2. अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार

–: निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि हाल खसरा न. 234/0.33, 238/0.61 का 1/12 भाग वाके ग्राम दयालपुर व आ.ख.न. 731/0.78, 737/0.15 का 41/408 भाग व 732/0.05 का 1/12 भाग वाके ग्राम किशनगढबास प्रार्थी के कब्जेकाशत खातेदारी की आराजी है। जो आराजी प्रार्थी को मृतक पिता श्री चुन्ना पुत्र सद्दा से विरासत में प्राप्त हुई है। विरासत इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सुक्को पुत्र चुन्ना राम दर्ज कर दिया जो ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम है प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 900625238944 व प्रार्थी के फोटो पहचान पत्र संख्या आर.जे./08/061/180415 व प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड संख्या 200002226297 में प्रार्थी का नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम दर्ज हो रहा है। किंतु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुक्को पुत्र चुन्ना गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसको प्रार्थी दुरूस्त कराकर अब समस्त राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज कराना चाहता है, जो कि पतराम पुत्र चुन्ना राम प्रार्थी का सही नाम है।

अंत में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इश्तदुआ की है कि प्रार्थी का सही नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को स्वयं सिद्ध करे।

जवाब आने के पश्चात प्रार्थी की ओर से साक्ष्य ली गई, साक्ष्य में प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू.1, गवाह छोटेलाल पुत्र गोपाल, रामप्रसाद पुत्र गोपाल के शपथ पत्र पी.डब्लू. 2 व 3 पेश किये है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत् 2074 प्रदर्श 1 नकल फोटोकॉपी आधार कार्ड, प्रदर्श 2ए निर्वाचन पहचान पत्र फोटोप्रती, प्रदर्श 3ए फोटोप्रती राशनकार्ड व नकल इंतकाल संख्या 524 प्रदर्श 4 व नकल इंतकाल संख्या 122 पेश किये है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को बचपन में घर के लोग

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

सुक्को के नाम से पुकारते थे, लेकिन सही नाम पतराम था इसलिए विरासत इंतकाल में सहवन से सुक्को दर्ज करा दिया जो कि गलत है। प्रार्थी के सभी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम है केवल राजस्व रिकॉर्ड मे गलत दर्ज हो रहा है इसलिए सुक्को के स्थान पर सही नाम पतराम दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया, वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी का नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम दर्ज है। नकल इंतकाल सं0 524 के अवलोकन से साबित है कि मृतक चुन्ना राम की विरासत दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सुक्को पुत्र चुन्ना राम दर्ज किया गया है। गवाह छोटेलाल पुत्र गोपाल पी.डब्लू. 2 व रामप्रसाद पुत्र गोपाल पी.डब्लू. 3 ने भी अपने बयानो में बताया है कि प्रार्थी का सही नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम है। प्रार्थी के मृतक पिता चुन्ना राम की जब विरासत दर्ज हुई उस समय प्रार्थी का नाम सुक्को पुत्र चुन्ना दर्ज कर दिया चूंकि उस समय प्रार्थी को सुक्को पुत्र चुन्ना राम बोलते थे। प्रार्थी का सही नाम पतराम ही है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व गवाहान के शपथ पत्रो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाखूबी साबित होता है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीतं होता है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू0 अधिनियम स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं0 234/0.33, 238/0.61 वाके ग्राम दयालपुर व आराजी खसरा नं0 731/0.78, 737/0.15, 732/0.05 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास की ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात व विरासत इंतकाल में प्रार्थी का गलत नाम सुक्को पुत्र चुन्ना राम को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम पतराम पुत्र चुन्ना राम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भेजी जावें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भंडार हो, निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकुट सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)